

लाभ का पद: अर्थ व प्रावधान

संदर्भ

हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा लाभ का पद (Office of Profit) के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति से दिल्ली के वधायकों की सदस्यता रद्द करने की सफारिश किये जाने के पश्चात् राष्ट्रपति रामनाथ कोवदि ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी के 20 वधायकों को अयोग्य करार दे दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय वर्तमान में नरिवाचति वधायकों की याचिका पर चुनाव आयोग की सफारिश के खिलाफ सुनवाई कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इन वधायकों को संसदीय सचिव बनाया गया था, जो कि एक लाभ का पद है। इस आलेख में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि लाभ का पद क्या होता है और इससे संबंधित प्रावधान क्या हैं?

लाभ का पद से तात्पर्य

- भारत के संविधान में अनुच्छेद 102(1)(a) तथा अनुच्छेद 191(1)(a) में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है, किंतु लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है।
- अनुच्छेद 102(1)(a) के अंतर्गत संसद सदस्यों के लिये तथा अनुच्छेद 191(1)(a) के तहत राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिये ऐसे किसी अन्य पद पर को धारण करने की मनाही है जहाँ वेतन, भत्ते या अन्य दूसरी तरह के सरकारी लाभ मिलते हों। इस तरह के लाभ की मात्रा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
- अगर कोई सांसद/वधायक किसी लाभ के पद पर आसीन पाया जाता है तो संसद या संबंधित विधानसभा में उसकी सदस्यता को अयोग्य करार दिया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, किसी भी वधायक द्वारा सरकार में ऐसे 'लाभ के पद' को हासिल नहीं किया जा सकता है जिसमें सरकारी भत्ते या अन्य शक्तियाँ मिलती हैं।
- जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9 (ए) में भी सांसदों व वधायकों को लाभ का पद धारण करने की मनाही है।

लाभ का पद संबंधी प्रावधानों की आवश्यकता

- संविधान में इन प्रावधानों को शामिल करने का उद्देश्य नति निर्माण के इन नकियों (संसद व विधानमंडल) को किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रखना था। क्योंकि अगर लाभ के पदों पर नियुक्त व्यक्ति विधानसभा का भी सदस्य होगा, तो हो सकता है कि वह अपने लाभ के लिये नरिणों को प्रभावित करने का प्रयास करे।
- इसके पीछे मूल भावना यह है कि नरिवाचति सदस्य के कर्तव्यों और हितों के बीच कोई संघर्ष नहीं होना चाहिये।
- संविधान के अनुसार वधायिका सरकार को नरितरति करती है। इस नरितरण को कम करने के लिये वधायकों को खुश करने एवं लाभ पहुँचाने हेतु उन्हें लाभ के कुछ पद प्रदान कर दिए जाते हैं। इस प्रकार वधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्त के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर किया जा सकता है।
- इस प्रकार लाभ का पद संबंधी प्रावधान संविधान में वर्णित - वधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्त के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करने का ही एक प्रयास है।

क्या कानून बनाकर लाभ के पद से छूट दी जा सकती है?

- संविधान, संसद/वधायिका को लाभ के किसी भी पद को धारण करने वाले को छूट प्रदान करने हेतु कानून पारित करने की अनुमति प्रदान करता है।
- कानून के दायरे से कितने पदों को छूट दी जा सकती है, इस पर कोई उपरी सीमा नहीं है। 2015 में नागालैंड विधानसभा के सभी 60 वधायक सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हुए थे। जुलाई 2017 में नागालैंड के मुख्यमंत्री ने संसदीय सचिवों के रूप में 26 वधायकों की नियुक्ति की। 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में भी 21 वधायकों को संसदीय सचिवों के रूप में नियुक्त किया गया था।
- वर्तमान में नमिनिखित प्रावधान सांसदों एवं वधायकों को लाभ के पद से छूट प्रदान करते हैं -
 - ◆ किसी भी सांसद या वधायक के मंत्री पद को भारत सरकार या किसी भी राज्य की सरकार के तहत लाभ का पद नहीं माना जाएगा। किंतु संविधान में नरिदषित है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% के भीतर होनी चाहिये (दिल्ली के मामले में 10%, जो वधायिका के साथ संघ राज्य क्षेत्र है)।
 - ◆ संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 भी किसी सांसद या वधायक को सरकारी पद को ग्रहण करने की अनुमति देते हैं यदि कानून के माध्यम से उन पदों को लाभ के पद से उन्मुक्ति दी गई है।
 - ◆ कई राज्य विधानसभाओं ने कानून बनाकर कुछ पदों को लाभ के पद से बाहर रखा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आदि ने कानून बनाकर संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से बाहर रखने के लिये कानून का निर्माण किया है।
 - ◆ संसद ने भी संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 अधिनियमित किया है। जिसमें उन पदों की सूची दी गई है जिन्हें लाभ के पद से बाहर रखा

गया है। संसद ने समय - समय पर इस सूची में वसितार भी किया है।

न्यायपालिका व लाभ का पद

- लाभ के पद का संवधान में उल्लेख तो है कति इसे परभाषित नहीं किया गया है। वर्तमान में लाभ के पद के संदर्भ में भारत में कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं है। न्यायालय ने समय - समय पर इस संदर्भ में अपने निर्णय में लाभ के पद के लिये कुछ कारकों का वर्णन किया है।
- 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं है इसके लिये उसकी नयुक्ति से संबंधित कुछ बटुओं का परीक्षण किया जाना चाहयि। इस निर्धारण में कई कारकों पर वचिर किया जाता है, जैसे -
 - ◆ क्या सरकार नयुक्ति प्राधकिरी है?
 - ◆ क्या सरकार को नयुक्ति समाप्त करने की शक्ति है?
 - ◆ क्या सरकार उस पद से संबंधित पारशिरमकि को निर्धारित करती है?
 - ◆ पारशिरमकि का स्रोत क्या है? क्या पारशिरमकि को सरकार द्वारा दिया जाता है?
 - ◆ उस पद के कर्तव्य क्या हैं? उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति किस प्रकार के कार्यों का नषिपादन करता है? क्या सरकार इन कार्यों के नषिपादन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण रखती है?

संसदीय सचवि से संबंधित प्रावधान व उनकी वैधता

- संसदीय सचवि वधानमंडल का एक सदस्य होता है, जो अपने कार्यों द्वारा अपने से वरषिठ मंत्रियों की सहायता करता है। मूल रूप से इस पद के निर्माण का उद्देश्य भावी मंत्रियों के प्रशिक्षण के लिये किया गया था। परंतु माना जाता है कि संसदीय सचवि का पद मूल रूप से कार्यपालिका और वधायिका के बीच शक्ति-पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
- अनुच्छेद 239AA(4) के तहत संसदीय सचवि मंत्री नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उनकी नयुक्ति राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है, कति इन्हें मंत्री जैसी ही सुवधाएँ प्राप्त होती हैं।
- उल्लेखनीय है कि कई राज्यों में संसदीय सचवियों के रूप में वधायकों की नयुक्ति को लाभ के पद के दायरे से बाहर रखने के कानूनों को न्यायपालिका ने अवैध घोषित किया है। जबकि अन्य पदों पर नयुक्ति को अवैध घोषित नहीं किया गया है। उसके बावजूद राज्य सरकारें दूसरे पदों पर नयुक्ति की बजाय संसदीय सचवियों के रूप में वधायकों की नयुक्ति क्यों करना चाहती हैं?
- 2015 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक फैसला देते समय कहा कि संसदीय सचवियों (जूनियर मंत्री) के रूप में वधायकों की नयुक्ति कर सरकारें संवधान में वर्णित मंत्रियों की संख्या की सीमा को बाईपास करना चाहती हैं, जो कि गैर संवधानिक है।
- 2009 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा कि कैबिनेट मंत्री के पद और स्थिति के समान संसदीय सचवियों की नयुक्ति संवधान के अनुच्छेद 164 (1 ए) का उल्लंघन है।
- अनुच्छेद 164 (1 ए) निर्दिष्ट करता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या वधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहयि।

नषिकर्ष

यह चिंता का वषिय है कि इतनी बड़ी संख्या में (दिल्ली में लगभग 40% एवं नागालैंड में लगभग 43%) वधायकों को ऐसे पदों पर (कार्यालयों में) नयुक्ति किया जा रहा है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में वधायकों को ऐसे पदों पर नयुक्ति किया जाएगा तो सरकार के काम पर नियंत्रण रखने की उनकी भूमिका प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार, यह संवधान के अनुच्छेद 102 और 191 की भावना का उल्लंघन करने के साथ - साथ संवधान में उल्लेखित वधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। संसदीय सचवियों की नयुक्ति संवधान के अनुच्छेद 164 (1 ए) का भी उल्लंघन है।